


FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

..... श्रीताराजी बनाम डॉ. का. र.
 किस प्रकार मुकदमा नं. 210 सन् 2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
18-7-22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फारिद उप / अधिकारी लोरे / वे / वीदिग हैं पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण मय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्त तक रुकें रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादीगण व पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये हैं। अतः वकील वादीगण एवं पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">  (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) </p>
20.10.2022	